

स्टॉल हेतु आवेदन-पत्र



ताज महोत्सव-2026



1. आवेदक/फर्म का नाम :
2. स्थानीय/स्थायी पता :
3. दूरभाष संख्या :
4. स्टॉल का प्रकार : ☐ शिल्पी ☐ टेरा कोटा ☐ कारपेट ☐ फर्नीचर
☐ कॉर्मिशियल ☐ फास्ट फूड ☐ वेज फूड ☐ नॉन-वेज फूड
5. क्राफ्ट का प्रकार :
6. आधार संख्या :
7. जमा धनराशि का विवरण बैंक ड्राफ्ट सं०/ :
धनराशि दिनांक सहित

आवेदन फार्म प्रस्तुत करते समय आवेदक से शिल्पी स्टॉल/व्यंजन स्टॉल आदि की अग्रिम शुल्क की राशि (रूपया.....) बैंक ड्राफ्ट सं०.....दिनांक द्वारा प्रस्तुत की गई।

कृते सचिव
ताज महोत्सव समिति, आगरा।

नियम व शर्तें

1. आवेदन अहस्तान्तरणीय है। आवेदन करने का अर्थ स्टॉल आवंटन नहीं है।
2. आवेदक का एक पास पोर्ट फोटोग्राफ तथा एक आई डी प्रूफ (पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस) की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा यदि दुकानदार के अतिरिक्त कोई अन्य सहयोगी है तो उसका भी फोटोग्राफ एवं आई डी प्रूफ आवेदन के साथ जमा करना होगा। स्टॉल के संचालन हेतु अधिकतम दो व्यक्ति ही मान्य होंगे।
3. आवेदक दुकानों के रजिस्ट्रेशन फार्म स्टॉल उपलब्ध होने तक जमा कर सकेंगे।
4. फूड स्टॉल के लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटी के पास नगर निगम द्वारा जारी लाईसेंस उपलब्ध हो साथ ही खाना बनाने हेतु स्टॉल में केवल कार्मशियल गैस का प्रयोग किया जायेगा।
5. आवेदित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु स्टॉल का प्रयोग वर्जित है। स्टॉल पर स्वच्छता बनाये रखनी होगी।
6. समिति द्वारा प्रदत्त विद्युत प्वाइन्टों के अतिरिक्त विद्युत सामग्री का किराया पृथक से आवंटी को वहन करना होगा।
7. अग्नि, चोरी आदि की जिम्मेदारी महोत्सव समिति की नहीं होगी और ना ही समिति किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु कोई मुआवजा देगी।
8. महोत्सव परिसर में कोई स्टॉल में जूआ/गेम ऑफ चांस/फॉरच्यून व्हील आदि आवंटित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर आवंटन किसी भी समय महोत्सव समिति द्वारा निरस्त किया जायेगा।
9. स्टॉल का आवंटन होने के उपरान्त स्टॉल न लेने अथवा बीच में छोड़ने पर जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
10. स्टॉल के साइज में थोड़ा अन्तर होने पर किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी। निर्माण कार्य टिन/बल्ली में कराये गये हैं। अतः थोड़ा बहुत अन्तर स्वभाविक है। महोत्सव की अवधि बढ़ाई घटाई भी जा सकती है।
11. किसी भी स्टॉल पर सबलेटिंग प्रतिबन्धित है ऐसा पाये जाने पर स्टॉल निरस्त कर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. महोत्सव परिसर में पॉलिथीन का प्रयोग वर्जित है। पॉलिथीन का प्रयोग पाये जाने पर स्टॉल धारक पर समूचित जुर्माना किया जायेगा।
13. स्टॉल में हैलोजन का प्रयोग वर्जित है। रोशनी हेतु केवल सी0एफ0एल0 एल0ई0डी0 का प्रयोग करना होगा।
14. अपरिहार्य कारणों से ताज महोत्सव की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है।
15. क्रमांक 01 से 14 तक की नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर